## दिल्ली विधान तका. समाचार भाग-2

विधायी एवं अन्य मामलों से तम्बन्धित सामान्य जानकारी
 सोमवार, 12 सितम्बर, 1994 / 21 भाद्रपद, 1916 १ आक

नंख्याः ।।।

## सदस्यों की नज़रनन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित सहायक पुलिस ज्ञायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 8.9.94 का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हुआ:-

" श्री नरेश गौड़ और श्री राम पाल, विधायकों, को उनके अन्य समर्थकों सिंहत संसद मार्ग से पुलिस के विधि सम्मद् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिनांक 8 सितम्बर, 1994 को अपराह्न 12 40 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था 1

उन्हें थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से उसी दिन अर्थात् ८० ९० ९५ को अपराह्न १२० ४५ वजे रिहा कर दिया गया था । "

 $\times - \times - \times - \times$ 

119

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा का पुलिस उपायुक्त, पिष्विमी ना, नई दिल्ली का दिनांक ९०९० का पत्र दिनांक ९ सितम्बर, १९९४ प्राप्त हुआ:-

" श्री मुकेश शर्मा, विधायक को पुलिस अधिकारी के तर्कसंगत निदेशों का अनुपालन न करने के लिये दिनांक १ सितम्बर, १९१४ को पूवाह्न १. 55 बजे नज़रबन्द किया गया था ।

श्री भर्मा को पूर्वाह्न ।० ।० वजे रिहा कर दिया गया क्यों कि आवश्यक कारण नहीं हैं।"

> पी• एन• गुप्ता सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday, September 12, 1994/Bhadra Pad 21, 1916 (Saka)

No.118

## DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 8.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Asstt. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, was received on the 9th September, 1994:-

"Shri Naresh Gaur and Shri Ram Pal, MLAs alongwith their other supporters were detained under Section 65 of Delhi Police Act, 1978, at 12.40 p.m. on 8th September, 1994 for disobeying the lawful directions of Police from Sansad Marg, New Delhi.

They were released at 12.45 p.m. from P.S. Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 8.9.1994."

No.119

The following communication dated 9.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, West District, New Delhi, was received on 9th September, 1994:

"Shri Mukesh Sharma, MLA was detained at 9.55 a.m. on 9th September, 1994 for non-compliance of reasonable direction of Police Officer.

Shri Sharma was released at 10.10 a.m. as the reasons necessitating has ceased to exist"

P.N. GUPTA SECRETARY